Report on

Short Term Course in Gender Sensitization

UGC- Human Resource Development Center, DAVV, Indore
Joint Collaboration with
Dr. B. R. Ambedkar University of Social Science

Date: 17/02/ 2020 to 22/02/2020

Reported by: Dr. Kusum Tripathi

ब्राउस में जेंडर संवेदनशीलता पर अल्पावधि कार्यक्रम उद्घाटन समारोह

यू.जी.सी.–मानव संसाधन विकास केंद्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर एवं डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के संयुक्त तत्वावधन में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित छह दिवसीय जेंडर संवेदनशीलता अल्पावधि कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों–विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों, अध्येयताओं ने भाग लिया। 17 से 22 फरवरी, 2020 तक चलने वाले इस अल्पावधि कार्यक्रम में महिला और जेंडर अध्ययन से जुड़े विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन 17 फरवरी को ब्राउस की माननीय कुलपति प्रो. आशा शुक्ला की अध्यक्षता में किया गया। उद्घाटन सत्र में डॉ. मनीषा सक्सेना, प्रो. शंभु गुप्त, कुसुम त्रिपाठी, डॉ. सुप्रिया पाठक, डॉ. मनोज गुप्ता सहित विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य, शोधार्थी–विद्यार्थी उपस्थित रहे। कुलपति महोदया ने भारत सहित विश्वभर में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा और समाज में जेंडर असंवेदनशीलता की प्रवृत्ति पर बात करते हुए ऐसी कार्यशालाओंध्पाठ्यक्रमों के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा सक्षम और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में जेंडर संवेदनशीलता एक जरूरी पहलू है। देश भर से आए प्राध्यापकों से उन्होंने अपील की कि छह दिन बाद जब वे अपने महाविद्यालयों में लौटकर जाएं तो अपने विद्यार्थियों में जेंडर संवेदनशीलता के जागरूकता और दृष्टिकोण विकसित करें।

प्रथम दिवस (17 फरवरी 2020)

महिला एवं शिक्षा पर डॉ. सुप्रिया पाठक ने अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि नर और नारी वह दो पहिए के समान है, उन्होंने कहा कि किसी एक के अभाव से पूरे समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा समाज तभी विकास कर सकता है जब दोनों समान रूप से शिक्षित हो। उन्होंने कहा समाज तभी विकास कर सकता है, जब दोनों समान रूप से शिक्षित हो। उन्होंने अपने व्याख्यान में विश्व परिदृश्य परिदृश्य में नारीवाद के उदय तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि नारीवाद अवधारणा समाज विज्ञान के क्षेत्र में शोध प्रविधि के कई नए आयाम खोलती है इससे समाज के सामने लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति एक नया दृष्टिकोण सामने आया जिससे समाज में नारी जाति की व्यवस्थित वास्तविक स्थिति को सामने लाकर उसमें सुधार किया। सुप्रिया ने यह सवाल उठाया कि डेढ़ दशक के प्रयासों के बावजूद पाठ्य पुस्तकों में अकादमिक स्तर पर मुख्यधारा में महिलाओं को लाया नहीं जा सका स्त्रियों के आख्यान, अनुभव, दृष्टिकोण स्वर को अकादमी में शामिल नहीं किया गया जो कि एक चिंता का विषय है। महिला जाति के अकादमिक स्तर में सुधार लाना और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए उक्त प्रयास किया जाना नितांत आवश्यक है।

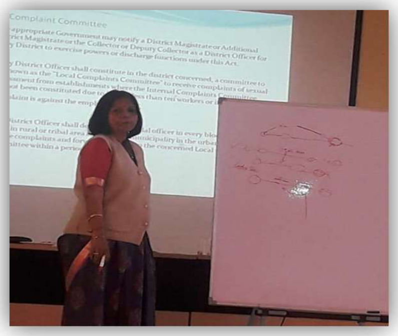

कुलपति महोदया प्रो. आशा शुक्ला ने जेंडर संवेदनशीलता पर अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि जेंडर का प्रश्न मात्र स्त्री पुरुष का नहीं है बल्कि ट्रांसजेंडर का भी है जेंडर भेद सांस्कृतिक है न कि प्राकृतिक। जेंडर भेद मानव निर्मित है उसे मानव बदल सकता है जेंडर के भेद के कारण ही महिलाओं पर हिंसा आज बढ़ती जा रही है उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सशक्त बनाने के लिए आज पूरे समाज को जेंडर संवेदनशीलता की जरूरत है। जेंडर व्यवहार मूलक समाज निर्मित है, इसमें केवल स्त्री ही शामिल नहीं है बल्कि वे भी शामिल है जो मान्य लिंगो से अलग है। कुछ विद्वानों ने जेंडर को भाषा के संदर्भ में देखा तो कुछ नें सामाजिक संदर्भो में, इसके अतिरिक्त जेंडर को इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, सेक्स, सत्ता से जोडकर भी देखने और समझने का प्रयास किया गया है। आज भी सही तरीके से जेंडर की कोई मुकम्मल परिभाषा नहीं है। इस विषय को विश्वस्तर पर समझने की जरूरत है।

प्रो. शम्भु गुप्त ने बताया की किस तरह नारीवादी शोध प्रवधि अन्य समाजशास्त्रीय विषयों के शोध प्रवधि से भिन्न है। क्योंकि महिलाओं के जीवन से जुडी उनकी संवेदनाओं, भावनाओं, समस्याओं से जुडे प्रश्नों पर शोध किये जाते है इसलिए इसमें साक्षातकार शोध प्रवधि, मौखिक इतिहास शोध प्रवधि, अवलोकन शोध प्रवधि का विशेष महत्व है।

द्वितीय दिवस (18 फरवरी 2020)

छह दिवसीय लैंगिक संवेदनशीलता पर अल्पावधि कार्यक्रम के दूसरे दिन डॉ. सुप्रिया पाठक ने जेंडर और मीडिया पर क्लास लेते हुए कहा कि आज मीडिया में औरतों का वस्तु करण कर दिया गया है जहां पर आवश्यक नहीं है, वहां भी औरतों के शरीर का उपयोग करके पूंजीवादी व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं। आज महिलाओं की बौद्धिकता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बाजारीकरण ने महिलाओं को बाजार के हवाले कर दिया है, इससे महिलाओं पर हिंसा भी बढ रही है।

डॉ रत्ना मूले ने महिलाओं के स्वास्थ्य विषय पर अपने व्याख्यान में कहा कि सामंती व्यवस्था में औरतों का घर में समाज में कोई मूल्य नहीं था इस कारण उन्हें ठीक से खाना पीना नहीं मिलता था परिणाम स्वरूप उनमें एनीमिया, थायराइड आदि की समस्या होती है। इससे महिलाएं कमजोर होती है और कम बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि महिलाएं मां बनती है इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सही मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो सरकारी स्तर पर महिलाओं को ग्रामीण और शहरी अस्पतालों में मुफ्त में दिया जाता है।

डॉ बी आर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशा शुक्ला ने मानव ट्रेफिकिंग पर अपने व्याख्यान में कहा कि यह मानव अधिकारों का हनन करते हैं किसी मानव की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे अपराधों का उद्देश्य बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, घरेलू कामकाज, जासूसी का कार्य, शारीरिक शोषण, मनोरंजन खेलों में उपयोग आदि के लिए होता है जो समाज को दीमक की तरह चट करता जा रहा है। उन्होंने कहा कि, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में इस अपराध के प्रति जागरूकता बडी है। पुलिस पीडितों की पहचान कर उन्हें सजा दे रही है।

डॉ. जया फूकन ने जेंडर और लाइवलीहूड पर बोलते हुए ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में बात की और कहा की, रोजगार की जरूरत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सबसे अधिक है। उसमे भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रोजगार देना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को भी अर्थव्यवस्था का आधार होना चाहिए। मनरेगा योजनाओं के अतिरिक्त भी हमें अन्य तरीको की स्वयंसेवी संस्थाओं की भी जरूरत है। हस्तकला से जुडी वस्तुओं का खासकर आदिवासी औरतो के बीच प्रचारित करना चाहिए। उनके द्वारा बनाई गई वस्तओं की बिर्की के लिए उन्हें व्यापार और बाजार देना होगा।

तृतीय दिवस (19 फरवरी 2020)

प्रथम सत्र में जया फूकन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध और घरेलू हिंसा पर अपनी बात रखी। उनके व्याख्यान का सार यह है कि समाज में लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1993 विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का जिक्र किया जो यह दर्शाता है कि पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। सरकारी प्रयासों तथा कानूनी उपबंधो के साथ साथ लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है जिससे उक्त आपराधिक स्थिति में कमी की जा सके।

डॉ. कुसुम त्रिपाठी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के बारे में बताते हुए 11 सितम्बर 1989 को संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम की जानकारी दी ओर कहा की, 30 जनवरी 1990 में पूरे भात में इसे लागू कर दिया गया। यह अधिनियम उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति और जनजाति क सदस्य नही है। तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के सदस्यों को उत्पीडित करता है। अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आनु वाल अपराधो में विशेष रूप से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालते बनाई गई, जो दो महीने के अंदर फैसला सुनाती है। इस कानून के अंतर्गत बल पूर्वक कपडे उतरवाना, सर के बाल या मूँछ मुडवाना, चेहरे पर कालिख पोंतना, SC/ST जनजाति के किसी सदस्य की जमीन पर अधिकार हो और कोई अन्य व्यक्ति कब्ज़ा कर ले तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।

डॉ बी आर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया, प्रो. आशा शुक्ला ने कार्य स्थल पर छेडछाड विषय पर कक्षा ली। उन्होंने बताया की भँवरी देवी के साथ कार्यस्थल पर छेडछाड हुई थी, उनका बलात्कार किया गया था, पर उन्हें न्याय नहीं मिला। विशाखा नामक एनजीओ ने कोर्ट में इस केस को चुनोती दी और सुझाव दिया की कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन के लिए कानुन बनाया जाए। निर्भया केस के बाद वर्मा कमेटी बनाकर 2013 में अधिनियम बनाया गया। उन्होंने बताया की यह कानून योन उत्पीडन के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है और यह भी बताया की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जाती है। यूजीसी ने भी प्रत्येक विश्वविद्यालयों में महिला सेल बनाना अनिवार्य कर दिया। चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित, सभी क्षेत्रों में जहाँ 10 औरते काम करती है वहाँ पर महिला सेल अवश्य होने चाहिए। भूमण्डलीकरण में औरतों का बाजारीकरण होने से महिलाओं पर हिंसा बड़ रही है। मीड़िया में उनका वस्तुकरण हो रहा है इसके खिलाफ आँदोलन हो रहें है।

डॉ. रत्ना मूले ने प्रथम सत्र में न्यूट्रीशन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य का असर समाज पर भी पड़ता है। महिलाओं को दोहरी जिंदगी जीना आता है आंकड़े यह बताते हैं कि महिलाओं का खानपान व्यवस्थित ना होने के कारण उनमें कुपोषण की समस्या आम बात है। इससे बचाव के लिए आहार का संतुलित होना आवश्यक है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें तो उनके प्रति होने वाली बीमारियों में कमी की जाए कमी की जा सकती है। महिलाओं में सरवाइकल कैंसर की समस्या सबसे अधिक है। गरीबी के कारण मासिक धर्म के दौरान जिन कपड़ो का उपयोग करती है, वे गन्दे होते है जिसके कारण उन्हें सरवाइकल कैंसर हो जाता है। इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी है। स्वच्छता के अभाव में भी औरतों को कैंसर जैसी बीमारी आती है। इसके लिए औरतों को सही मात्रा में न्यूट्रीशन की जरूरत होती है।

चतुर्थ दिवस (20 फरवरी 2020)

प्रथम सत्र में डॉ मनोज कुमार गुप्ता ने जेंडर और इकोनामी पर बोलते हुए कहा कि औरतों के घरेलू काम, उनके उत्पादन श्रम का कोई वेतन या नहीं मिलता। जबकि पुरुष जो बाहर से कमा कर लाता है तो उसके श्रम को महत्व दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी औरतों की नजरों से योजनाएं नहीं बनाई जाती है जो महत्वपूर्ण है।

प्रो. शंभू गुप्त ने महिला अध्ययन विषय को एक अंतर अनुशासित विषय बताया है। इस विषय पर बात करते हुए यह बताया कि, आज भी एक अंतरानुशासित विषय के रूप में जेंड़र विषय पर उस तरह काम नही हुआ जिस तरह होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जेंडर विषय साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति से तो जोडा गया पर आज भी मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, क्रषि विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र तथा विज्ञान की अन्य विषयों से नही जोडा गया। अभी भी नारीवादी नजरिये से इन विषयों पर अध्ययन नहीं किया गया।

द्वितीय सत्र में डॉ मनोज गुप्ता ने बालकों के प्रति होने वाले अपराधों एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों को विस्तार से बताया। यूनिसेफ, यूएनओ, एवं अंतरराष्ट्रीय संस्था बालों को के जीने के अधिकार पोषण के अधिकार नाम एवं राष्ट्रीयता पाने के अधिकार आदि पर काम कर रहे हैं। पास्को एक्ट पर विस्तार से चर्चा करने के साथ जुवेनाइल जस्टिस, बाल श्रम आदि संबंधित कानूनों की बारीकियों पर अपनी बात रखी है। पास्को एक्ट के तहत किस तरह रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। जांच प्रक्रिया बयान और बालकों के अधिकारों पर भी कानूनी एवं व्यवहारिक बातें रखी उन्होंने कहा कानून को जानने के साथ–साथ हमें सामाजिक तौर पर इनके प्रति जागरूक और संवेदनशील होना पड़ेगा।

प्रो. शम्भु गुप्त ने महिला अध्ययन में मौखिक इतिहास के महत्व को बताते हुए कहा कि, चुंकि महिलाओं का इतिहास अदृश्य है इसलिए उनके इतिहास को जानने के लिए मौखिक शोध प्रविधि का प्रमुख स्थान है। साथ ही यह विषय महिलाओं के जीवन से, उनकी संवेदनाओं से जुडा हुआ विषय है जिसे जानने के लिए मौखिक शोध प्रविधि की आवश्यकता है। मौखिक इतिहास के लिए महिलाओं से जुडी हुई कथाओं, लोक संगीतों, गीतों, मौखिक कथाओं के माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है।

पंचम दिवस (21 फरवरी 2020)

कुसुम त्रिपाठी ने भारतीय नारीवादी आंदोलन की कक्षा में बताया कि 1792 मैं आदिवासी विद्रोह जो जल, जंगल, जमीन को लेकर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह हुए तभी से ये महिलाएं उस विद्रोह में शामिल रही है। बिरसा मुंडा के विद्रोह में महिलाओं की संख्या काफी थी। समाज सुधार आंदोलन के दौरान पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, बालिका हत्या जैसे विषयों पर आंदोलन हुए। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, महात्मा फुले, करवे आगरकर, सावित्रीबाई फुले, पेरियार जैसे सुधारकों ने किया। गांधीवादी युग में औरतें पहली बार भारत में पर्दो से बाहर आकर सड़कों पर उतरी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी देखी गई, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में झांसी की रानी रेजीमेंट बनाएं, तेभागा, तेलंगाना जैसे आंदोलनों में औरतों की भागीदारी थी। स्वतंत्रता के बाद महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जयप्रकाश के आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका थी। 80 के दशक में स्वायत्त महिला संगठन का उभरना, नारीवादी आंदोलन की शुरूआत हुई। बलात्कार दहेज़, भ्रूण हत्या, पारिवारिक हिंसा, कार्यस्थल पर छेड़छाड़ जैसे विषयों पर आंदोलन उभरे।

ब्राउस के प्रोफेसर डी. के. वर्मा (डीन) ने जेंडर, जाति वर्ग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि महिलाओं की तरक्की में ही समाज की तरक्की है। उन्हें केवल शारीरिक वस्तु के रूप में ना देख कर समाज के एक ऐसे अंग के रूप में देखना चाहिए जो लैंगिक समानता पर आधारित हो। उन्होंने मध्यप्रदेश में महिलाओं की स्थिति के संबंध में विस्तार से बताया तथा इस बात की चिंता व्यक्त की कि उनके प्रति अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं जिन्हें रोका जाना चाहिए। जेंडर समानता पर जोर देते हुए कहा कि पति–पत्नि दोनों को जेडर संवेदनशीलता पर कोर्स करवाना चाहिए।

कुसुम त्रिपाठी ने पश्चिमी महिला आंदोलन को तीन लहरों में बांटते हुए बताया कि पश्चिम में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, और फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप नारी मुक्ति के आंदोलन उभरे। कामगार महिलाओं ने समान वेतन, काम के घंटों को लेकर वोटों के अधिकार को लेकर आंदोलन किये। द्वितीय लहर के दौरान औरतों ने अपना अस्तित्व, अस्मिता, समानता, बौद्धिकता को लेकर आवाज उठाई। तीसरी लहर में ब्लैक औरतों ने स्टैंड पॉइंट थ्योरी की बात की। व्यक्तिगत ही राजनीति है जैसे मुद्दे उठे। जेंडर समानता महिला सशक्तिकरण के सवाल उठे। इस दौरान उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, रेडिकल नारीवाद, ब्लैक नारीवाद और पर्यायवरण नारीवाद जैसे सिद्धांत उभरे।

डॉ मनोज गुप्ता ने नारीवादी सिद्धांत पर बोलते हुए कहा कि अब तक पुरूषों द्वारा प्रचलित सिद्धांतों को नारीवादी सिद्धांतकारों ने चुनौती दी। उन्होंने अपने हक की मांग की। 18वीं सदी में पश्चिम में उदारवादी नारीवाद आया, फीर महिलाओं ने आर्थिक समानता की बात की तब मार्क्सवादी नारीवाद आया। उसके बाद देखा गया की मात्र आर्थिक स्वतंत्रता से नारी मुक्त नहीं हो सकती, समाज व्यवस्था भी बदलनी चाहिए तब समाजवादी नारीवाद आया। रेडिकल नारीवाद ने गर्भ को ही स्त्री की गुलामी का प्रतीक माना। समलैंगिकता के प्रश्न उठाये।

षष्ठम दिवस (22 फरवरी 2020)

डॉ कुसुम त्रिपाठी ने क्वैयर सिद्धांत पर क्लास लेते हुए बताया की एलजीबीटी जिसका अर्थ है– लेस्बियन (समलैंगिक स्त्री), गे (समलैंगिक पुरूष), बायॉसेक्सुअल (उभयलिंगी), तथा ट्रांसजेंडर (हिजडा) इन सभी को मिलाकर क्वैयर बनता है। भरत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर 2018 में धारा 377 के तहत अन्य नागरिको के समान उन्हें भी साथ रहने की मान्यता दे दी। आज जरूरत है कि समाज उनके प्रति संवेदनशील बने। 1917 में ताइवान के संसद में ऐतिहासिक फेसला देते हुए उन्हे विवाह करने, साथ रहने की मान्यता दी है। यह एशिया महाद्वीप का पहला देश था जिसने कानून ये मान्यता दी। 76 देशों में समलैंगिकता को लेकर भेदभाव पूर्ण कानून है। 25 देशों में कानूनी मान्यता है। इन लोगो का कहना है कि शादी को कानूनी मान्यता दिलाना उनका लक्ष्य नहीं है। उनकी लडाई पहचान के लिए भी है। वे चाहते है कि उन्हें भी सभी जेंडर के समान समाज में स्वीकार किया जाये।

डॉ मनोज गुप्ता ने राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से व्याख्यान दिया उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और अर्थव्यवस्था में महिलाएं किस दृष्टि से जन्नत है इस का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस बात का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उनकी भूमिका होते हुए भी उनका स्थान स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसी तरह से राजनीति में भी महिलाओं की भूमिका उनकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं है जिसके कारण लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं मिल रहा है।

समापन समारोह

22 फरवरी, 2020 को अल्पावधि कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागियों ने फीडबैक के जरिये अपने अनुभवों और विचारों को साझा किया। प्रतिभागियों ने संयुक्त रूप से इस बात पर जोर दिया कि छह दिन की इस अल्पावधि कार्यशाला के माध्यम से जेंडर और जेंडर संवेदनशीलता को बहुत विस्तार एवं गहराई से समझने का अवसर मिला जो कहीं न कहीं हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों से जुड़ता है। आखिर में सभी प्रतोभागियों को ब्राउस की कुलपति प्रो. आशा शुक्ला, डीन प्रो. किशोर जॉन, डॉ. मनीषा सक्सेना, प्रो. आर. डी. मौर्य, कार्यक्रम संयोजन कुसुम त्रिपाठी, सह–संयोजक डॉ. मनोज गुप्ता की उपस्थिति में प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त संचालन डॉ. अल्का रघुनाथ एवं डॉ. मनोज गुप्ता द्वारा तथा धन्यवाद ज्ञापन कुसुम त्रिपाठी द्वारा किया गया।